भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3906
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः खाद्यान्न उत्पादन

3906. श्री नीरज मौर्यः
श्री देवेश शाक्यः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जहां वर्ष 2025 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 354 मिलियन टन (जिसमें 117.5 मिलियन टन गेहूं और 149 मिलियन टन चावल शामिल है) के रिकार्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का 127 देशों में 105वाँ स्थान है, जो "गंभीर श्रेणी" (स्कोर 27.3) में आता है;

(ख) क्या यह स्थिति दर्शाती है कि खाद्यान उत्पादन में वृद्धि के बावजूद इसका समान वितरण, कुपोषण उन्मूलन और उचित पोषण तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, भारत ने 353.96 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिसमें गेहूं और चावल का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 117.51 मिलियन टन और 149.07 मिलियन टन शामिल है।

कई अंतरराष्ट्रीय संगठन समय-समय पर विभिन्न सूचकांक जारी करते रहते हैं। तथापि, सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किए गए नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि अब अधिक मात्रा में दलहन, दूध और दूध से बने उत्पाद, फल (सूखे) और अन्य प्रोटीन-आधारित खाद्य पदार्थ शामिल किए जाने से फूड बास्केट में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न आय वर्गों में खाद्यान्न वितरण से यह सुनिश्चित हुआ है कि वर्तमान में संपूर्ण देश में लगभग 80.56 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।

(ख) एवं (ग): समान वितरण, कुपोषण उन्मूलन और उचित पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिनकी संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81.35 करोड़ है। जहाँ एक ओर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत अत्यधिक गरीब वर्ग में आने वाले परिवार, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार हैं, वहीं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलता है।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम करने और गरीबों को सहायता देने वाले कार्यक्रम में देशव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 1 जनवरी 2023 से एएवाई परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय व्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्नों की खरीद से लेकर पात्र लाभार्थियों तक उनके वितरण, उनके गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार और जारी की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से केवल खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। समाज के सभी वंचित और ज़रूरतमंद वर्गों तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत काफी उच्च कवरेज है।

बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार मिशन पोषण 2.0 का कार्यान्वयन कर रही है यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पोषण सामग्री, वितरण, पहुँच और आउटकम को मज़बूत बनाने के साथ ही स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और कुपोषण से मुक्ति के लिए पद्धतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

*****